

राजस्थान सरकार
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
 (पीठारीन अधिकारी लोक अदालत / कोष कोर्ट) कैम्प

-आदेश-

प्राचीन "खाता दफ्तरी" प्राधान्य एवं पदवारी व मू.अ.नि. १९९९ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मुद्रा अधिनियम १९५६ की धारा १३६ के अनुसरण में योग्य तहसील व जिला की जमाबन्दी संवत् २०१५-१६ में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज को गिनलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	नाम	खाना संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	श्रेतर	59, 118, 119 120, 121, 122	" गौपाल सिंह "	" गौपाल सिंह "

(*fhr*)
 पीठारीन अधिकारी
 सहायक कलक्टर एवं
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी, पीठारीन
 पदेन जिला न्याय समन्वयक

क्रमांक :- १०२६/२७

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट गिजवाये।
2. प्राची श्री को सूचनाार्थ।
3. संबंधित पत्रावली।

(*fhr*)
 पीठारीन अधिकारी
 सहायक कलक्टर एवं
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
 जिला न्याय समन्वयक
 १०/१५